

सं.संख्या-टी3/योजना-33/2008- 1258 /पटना,दिनांक 06-06-17

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।


विषय:- राज्य स्कीम अंतर्गत मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500.00 लाख (पाँच करोड़) रुपये मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधिनस्थ औ0प्र0संस्थानों, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के कुशल प्रशासन एवं गुणात्मक विकास, पारदर्शिता, नामांकन पद्धति, परीक्षा प्रणाली में सुदृढीकरण इत्यादि कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500.00 लाख (पाँच करोड़) रुपये मात्र की राशि पर मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम की स्थापना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500.00 लाख (पाँच करोड़) रुपये मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम पर व्यय हेतु बजट उपबंध 500.00 लाख (पाँच करोड़) रुपये मात्र उपलब्ध है।
3. इस स्कीम पर व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03 प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, उप शीर्ष 0126 मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम विपत्र कोड 26-2230030030126 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राज्य स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।
5. यह चालू योजना है।
6. प्रस्ताव में संचिका संख्या-टी3/यो0-33/08 के पृष्ठ-159 /टि0 पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है तथा पृष्ठ-159 /टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन,


संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-33/08- 1258/पटना,दिनांक 06-06-19


प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-33/08- 1258/पटना,दिनांक 06-06-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ योजना बजट एवं शाखा, श्रम संसाधन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव / सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्यालय/ आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग / बजट शाखा (सरकार पक्ष)/ निदेशालय बजट शाखा / योजना/कय (मुख्यालय) / मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग।